


65

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर, रीवा, कैम्प रीवा

(म0प्र0)

III/150121A/सीडी/2015/2017/1885



P.S.

राममणि तनय रामकृपाल तिवारी उम्र 62 वर्ष, पेशा खेती, निवासी
ग्राम-मड़िला खुर्द, तहसील चुरहट, जिला-सीधी (म0प्र0)

पुनरीक्षणकर्ता

बनाम्

प्रेमलाल तिवारी तनय बृजनन्दन तिवारी उम्र 66 वर्ष, निवासी मड़िला
खुर्द, तहसील चुरहट, जिला-सीधी (म0प्र0)

2. जगदम्बा प्रसाद तिवारी तनय बृजनन्दन राम उम्र 79 वर्ष, निवासी
ग्राम-पटपरा, तहसील चुरहट, जिला-सीधी (म0प्र0)

3. म0प्र0 शासन द्वारा- कलेक्टर, जिला-सीधी (म0प्र0)

गैरपुनरीक्षणकर्ता

पुनरीक्षण विरुद्ध निर्णय एवं आदेश
न्यायालय कलेक्टर जिला-सीधी प्रकरण
क्र. 39/अपील/2015-16 आवेदन क्र.
133 आर.सी.एम.सी. आदेश दिनांक 17
मई 2017.

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म0प्र0
भू-राजस्व संहिता 1959 ई.

मान्यवर,

अन्य के अतिरिक्त पुनरीक्षण के आधार निम्न हैं :-

संक्षिप्त - विवरण


यह कि पुनरीक्षणकर्ता ने ग्राम-पटपरा की आराजियातों का गलत
रकवा एवं नक्शा तर्मीम होने के कारण समक्ष संशोधन आवेदन प्रस्तुत
किया, न्यायालय तहसील चुरहट के संशोधन प्रस्ताव अनुसार नक्शा तर्मीम

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

मामला क्र०-III/निगरानी/सीधी/2017/1885

जिला-सीधी

राममणि तिवारी/ प्रमलाल तिवारी व अन्य

(1)	(2)	(3)
18.07.17	<ol style="list-style-type: none">1. प्रकरण प्रस्तुत।2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है।3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा-35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो।	 सदस्य